रण संख्या : 186/2020 प्रार्थनापत्र

अनवान

1. राकेश पिता श्यामलाल धोबी नि0 – 23 सोलंकि टाकिज के पास , भीलवाडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—————प्रार्थी

बनाम

1. पुष्पा पत्नि अक्षय कोठारी निवासी– ए–84 , लवगार्डन रोड , भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—————अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –
1. श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. पैरोकार सरकार विपक्षी संख्या 2

निर्णय

दिनांक 23–10–20

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(ए) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन दिनांक 20.10.2020 को प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। न्यायालय द्वारा जारी सम्मनो के संदर्भ में अन्य विपक्षिगणो द्वारा कोई प्रतिरोध पैश नही किया गया ।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा खातनखेडी पटवार मण्डल उपरेडा तहसील बनेडा स्थित आराजी नम्बर 653 , 654 , 655 , 656 , 657 , 658 , 659 , 661 , 662 , 1448/655 कुल खसरा 10 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। एंव प्रार्थी के स्वंय के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से अडौसी–पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजी तक पहुंचना पडता है। पुर्व में विपक्षिगणो की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है। परन्तु अब अप्रार्थीगणो द्वारा रूकावट किये जाने से विपक्षिगणो की आराजी सं0 663/1 , 1597/663 के मेर के सहारे–सहारे 16 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 20.10.2020 को मामले में तहसीलदार बनेडा को पत्र लिखा जाकर निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एंव मौके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज

विपक्षी संख्या 01 बावजुद सुचना के भी अनुउपस्थित जिनके एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है । मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत् रिपोर्ट के अध्ययन किया गया । इसे यह सपष्ट है कि अप्रार्थी की आराजी न0 1517/663 मे से 0–02 बीघा भूमि रास्ता दर्ज करने हेतू पूर्व मे ही सर्म्पण प्रस्तुत किया है जो स्वीकार हो चुका है एंव आराज़ी नं0 663/1 रकबा 1–08 बीघा गेमु. उसर बिलानाम सरकार मे से 0–03–10 बीघा रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थी को इसे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबधि नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार प्रार्थी को निम्न रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पैश हुए है जो निम्न है –

1. प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे पहुचने हेतू उक्त आराजी नम्बर 1517/663 एंव 663/1 का रास्ता के लिए उपयोग करते आ रहे है । तथा प्रार्थी को उक्त खातेदादी मे पहुचने के लिए कोई रास्ता रेकार्ड मे दर्ज नही है तथा न ही वैकल्पिक रास्ता है ।
2. ग्राम खातनखेडी की आराजी नं0 1517/663 रकबा 1–07 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय खातेदार श्रीमति पुष्पा पत्नि अक्षय कोठारी के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसमे से उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतू 0–02 बीघा भूमि रास्ता दर्ज करवाने हेतू समर्पण पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार हो चुका है । प्रति संलग्न है ।
3. इसी प्रकार ग्राम खातनखेडी की आराजी न0 663/1 रकबा 1–08 बीघा भूमि किस्म गेमु. उसर बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है जिसमे से 0–03–10 बीघा भूमि रास्ते हेतू चाही गई है ।
4. प्रकरण मे प्रस्तावित भूमि की प्रचलित डीएलसी दर 50121/– प्रति बीघा से 0–03–10 बीघा भूमि की मालियत 8772/– रूपये बनती है ।
5. प्रार्थी के लिए उक्त प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम मार्ग है ।

मेने पत्रावली का उद्योपांन्त अध्ययन एंव अवलोकन किया है। प्रार्थी द्वारा 16 फिट का रास्ता चाहा गया था। परन्तु अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु हल्का पटवारी द्वारा मौजा खातनखेडी के आराजी न0 1517/663 रकबा 1–07 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय मे से 0–02 बीघा भूमि रास्ते हेतू समर्पण करा दिया है जो स्वीकार हो चुका है एंव आराजी न0 663/1 रकबा 1–08 बीघा भूमि किस्म गेमु. उसर बिलानाम सरकार मे से 0–03–10 बीघा भूमि रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। एंव मौजा खातनखेडी के आराजी न0 1517/663 रकबा 1–07 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय मे से उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतू 0–02 बीघा भूमि रास्ता समर्पण करा दिया है एंव आराजी न0 663/1 रकबा 1–08 बीघा भूमि किस्म गेमु. उसर बिलानाम सरकार मे से 0–03–10 बीघा भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाने योग्य है । मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित उक्त खातनखेडी आराजी न0 1517/663 रकबा 1–07 बीघा मे से 0–02 बीघा भूमि रास्ता समर्पण करा दिया है एंव आराजी न0 663/1 रकबा 1–08 बीघा भूमि किस्म गेमु. उसर बिलानाम सरकार मे से 0–03–10 बीघा का जिसे नक्षा ट्रेस में प्रर्दश किया गया है। उसकी एक प्रति तथा नजरी नक्षा की एक प्रति तहसीलदार बनेडा को भिजवायी जाने योग्य है मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार के प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किये जाने योग्य है ।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम खातनखेडी पटवार मण्डल उपरेडा तहसील बनेडा स्थित आराजी नम्बर 653 , 654 , 655 , 656 , 657 , 658 , 659 , 661 , 662 , 1448/655 कुल खसरा 10 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा मे पहुंचने हेतू ग्राम खातनखेडी आराजी न0 1517/663 रकबा 1–07 बीघा मे से 0–02 बीघा भूमि रास्ता समर्पण करा दिया है एंव आराजी न0 663/1 रकबा 1–08 बीघा भूमि किस्म गेमु. उसर बिलानाम सरकार मे से 0–03–10 बीघा मुताबिक रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार बनेडा द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब उक्त समर्पित की गई भूमि का जमाबन्दी व राजस्व नक्शे मे गे.मु. रास्ते के रूप में अंकन किया जावे तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में तहसीलदार बनेडा के यहा प्रचलित डी0एल0सी0 की दरों की दुगुनी राशि (0–03–10 बीघा की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2020 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा